न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 29/2011 **दायर दिनांक :—26.05.2011**

उनवान

1. श्रीनाथ पुत्र श्री गोरधनलाल आयु 68 वर्ष जाति गालव ब्राहमण निवासी बेडक्या व गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान।

वादी

बनाम

1. दीनानाथ पुत्र श्री गोरधनलाल आयु 80 वर्ष जाति गालव ब्राहमण निवासी बेडक्या तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान
2. ओमप्रकाश पुत्र दीनानाथ
3. देवकीनन्दन पुत्र दीनानाथ
4. नरेन्द्रकुमार पुत्र दीनानाथ
5. महेशकुमार पुत्र दीनानाथ

   जाति गालव ब्राहमण निवासीगण बैडक्या तहसील अटरू जिला बारां राज
6. सतोषकुमार पुत्र गोरधनलाल — मृतक

6/1 श्रीमती कंचनबाई आयु 75 वर्ष पत्नी सतोष जी गालव जाति ब्राहमण निवासी खेडलीगंज अटरू तहसील अटरू जिलां बारां राज0

6/2 गिरजाबाई आयु 44 वर्ष पुत्री संतोष जी गालव पत्नी लक्ष्मीनारायण जी गालव जाति गालव ब्राहमण निवासी खेडलीगंज अटरू हालमुकाम सरदार कॉलोनी अन्ता जिला बारां राज0

6/3 चन्द्रकला आयु 51 वर्ष पुत्री संतोष जी गालव पत्नी ओमप्रकाश जी गालव जाति गालव ब्राहमण निवासी खेडलीगंज अटरू हालनिवासी जयहिन्द नगर कोटा जिला कोटा

6/4 कैकईबाई आयु 37 वर्ष पुत्री संतोष जी गालव जाति गालव ब्राहमण निवासी खेडलीगंज अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0

7. भूपेन्द्रकुमार पुत्र संतोषकुमार
8. पवनकुमार पुत्र संतोषकुमार

   जाति ब्राहमण निवासीगण खेडलीगंज अटरू जिला बारां

9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 90, 188 आर0 टी0 एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री रामेश्वर गोयल।

प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री नवनीत कुमार जैन प्रतिवादी क्रम 1 ता 8

विद्वान अभिभाषक श्री जिनेन्द्र कुमार जैन प्रतिवादी क्रम 1 ता 8

विद्वान अभिभाषक श्री के.एल. माहेश्वरी प्रतिवादी क्रम 6/1 ता 6/4 व 7 व 8

विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन प्रतिवादी क्रम 1 ता 8

निर्णय दिनांक :— 11.09.2025

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 90 व 188 आर0टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि दीनानाथ, श्रीनाथ व संतोषकुमार एक ही पिता श्री गोरधनलाल की संताने है गोरधनलाल के पास ग्राम बैडक्या में 114 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाके ग्राम बैडक्या में अवस्थित थी। गोरधनलाल की मृत्यु के बाद उनके खाते की भूमि वादी व प्रतिवादीगण 1 व 6 के खाते दर्ज हुई है। यह भूमि वादी व प्रतिवादीगण 1 व 6 की पैतृक सम्पति है जिसमें तीनों भाईयों का 1/3, 1/3 हिस्सा व हक है। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 व 6 के खाते में दर्ज भूमियों का विवरण निम्न प्रकार है। ख0नं0 12 का रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 13 का रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 14 का रकबा 18 बिस्वा, ख0नं0 15 का रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 16 का रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 18 का रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, ख0नं0 43 का रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 123 का रकबा 42 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 217 का रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा, ख0नं0 263 का रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा, ख0नं0 264 का रकबा 6 बिस्वा, ख0नं0 341 का रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 371 का रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0 348/390 का रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 14 का रकबा 114 बीघा 10 बिस्वा है। उक्त इन्द्राज जमाबन्दी संख्या 2016 से 2019, 2020 से 2023 व 2024 से 2027 में अंकित है। दौरान गत सेटलमेंट उक्त आराजीयात के ख0नं0 व रकबा निम्न प्रकार से दर्ज किये गये हैः— ख0नं0 76 का रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 186 का रकबा 3.42, ख0नं0 187 का रकबा 3.42, ख0नं0 265 का रकबा 1.52, ख0नं0 314 का रकबा 2.

14, ख0नं0 316 का रकबा 0.04, ख0नं0 414 का रकबा 2.40, ख0नं0 441 का रकबा 0.42, ख0नं0 464 का रकबा 2.01, ख0नं0 16 का रकबा 0.28, ख0नं0 35 का रकबा 0.45, ख0नं0 36 का 0.24, ख0नं0 37 का 0.25, ख0नं0 187 का 3.42, ख0नं0 414 का 2.40, ख0नं0 464 का 2. 01, ख0नं0 17/506 का 0.10, ख0नं0 77 का 0.04, ख0नं0 221 का 0.01, ख0नं0 222 का 1.98, ख0नं0 15 का 0.08, ख0नं0 14 का 0.44, ख0नं0 38 का 0.09, ख0नं0 39 का 0.80, ख0नं0 70 का 0.05, ख0नं0 180 का 3.42, ख0नं0 265 का 1.52, ख0नं0 314 का 2.14, ख0नं0 316 का 0. 04, ख0नं0 441 का 0.42 दर्ज किये गये है। वादी के भाई दीनानाथ व संतोषकुमार के परिवार का सजरा निम्न प्रकार हैः—

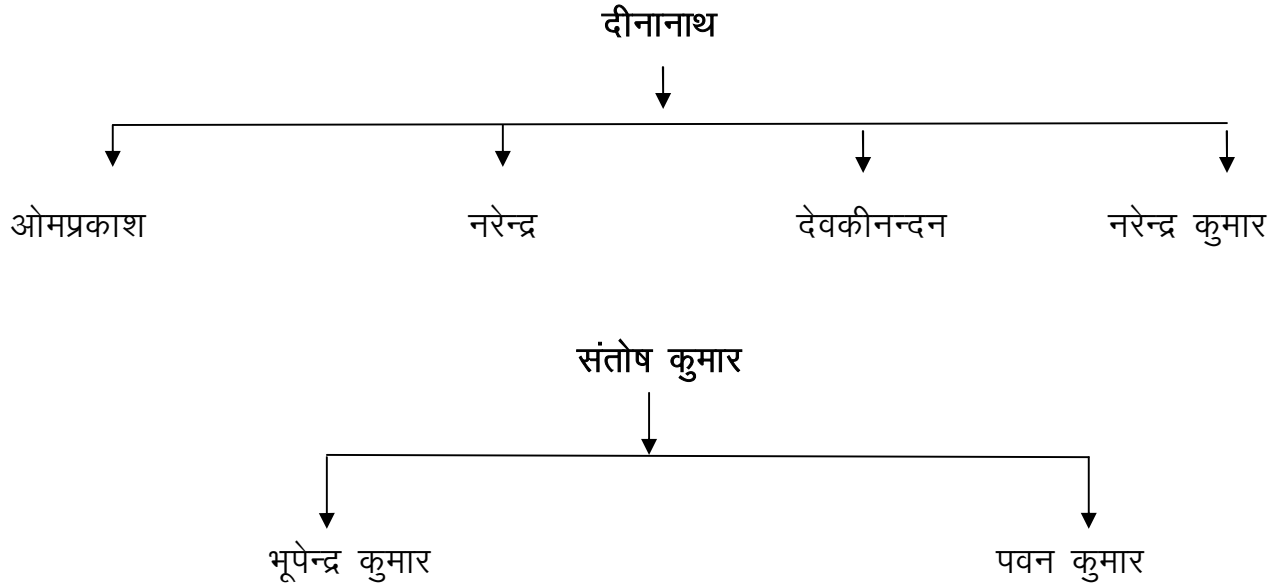

सेटलमेंट के दौरान अमीनों ने दीनानाथ के कहने पर वादी की पुश्तैनी भूमि का विभाजन कर दिया और उसने उतने नये ख0नं0 14, 38, 39, 76, 186, 265, 314, 316 व 441 कुल 9 किता का रकबा 8.92 है0 भूमि दीनानाथ के तन्हा खाते में दर्ज कर दी और दीनानाथ ने अपने खाते की उक्त भूमि में से ख0नं0 186 रकबा 1.69 है0 व ख0नं0 38 रकबा 0.04 जुमला 1.78 है0 अपने पुत्र प्रतिवादी क्रम 2 ओमप्रकाश के खाते दर्ज करवादी व मिन खसरा नं0 186 रकबा 1.73 व ख0नं0 76 रकबा 0.04 कुल 1.78 है0 भूमि देवकीनन्दन के खाते दर्ज करवादी। मिन खसरा नं0 314 रकबा 1.07 मिन 316 रकबा 0.02, मिन 265 रकबा 0.69 कुल 1.78 है0 भूमि नरेन्द्र कुमार के खाते दर्ज करवादी व मिन 314 रकबा 1.07, ख0नं0 316 रकबा 0.02 है0 व मिन 265 रकबा 0.69 है0 कुल 1.78 है0 भूमि अपने लडके महेश कुमार के खाते दर्ज करवादी और अब दीनानाथ के खाते

में मात्र ख0नं0 14 की 0.44, ख0नं0 39 रकबा 0.80, ख0नं0 265 रकबा 0.14, ख0नं0 441 की 0. 46 कुल 1.84 है0 भूमि रह गई है। सेटलमेंट के दौरान ही संतोष कुमार ने खसरा नं0 16 रकबा 0.28, ख0नं0 16/506 रकबा 0.10, ख0नं0 35 रकबा 0.45, ख0नं0 36 रकबा 0.24, ख0नं0 37 रकबा 0.25, ख0नं0 77 रकबा 0.04, ख0नं0 187 रकबा 1.42, ख0नं0 414 रकबा 2.40, ख0नं0 464 रकबा 2.01 अपने खाते दर्ज करवादी और संतोष कुमार ने उक्त भूमि में से ख0नं0 557/187 रकबा 2.00 अपने पुत्र पवन कुमार के खाते दर्ज करवादी। पैतृक सम्पति में बची हुई ख0नं0 15 रकबा 0.08 गै0मु0 चाह दीनानाथ, संतोष कुमार के खाते में दर्ज करवादी है। इस प्रकार विभाजन कर पैतृक सम्पति का स्वरूप नष्ट कर दिया है व वादी को पैतृक सम्पति में से कोई हिस्सा नही दिया गया है। जबकि अभी भी स्थिति यह है कि दीनानाथ, संतोषकुमार तथा वादी पैतृक सम्पति को समान भाग से 1/3, 1/3 काश्त कर रहे है और वादी अपने हिस्से की 1/3 आराजी पर स्वयं काश्त कर रहा है। दीनानाथ व संतोषकुमार ने सेटलमेंट के अमीनो से मिलकर यह नुकसान पहुचाने वाली कार्यवाही वादी के अधिकारों का हनन करते हुए खिलाफ कानून अमल में लाई गई है और उससे वादी के खातेदारी अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडने की आशंका पैदा हो गई है कभी भी प्रतिवादीगण उक्त कृषि को उक्त पैतृक सम्पति की भूमि को अपने खाते में अंकित होना बताकर उसका किसी को भी अन्तरण कर सकते है वादी द्वारा आपत्ति करने पर दीनानाथ ने बडा भाई होने के नाते हमेशा यही जाहिर किया कि पैतृक सम्पति का 1/3 हिस्सा पूर्व में सेटलमेंट द्वारा की गई गडबडियों का निराकरण के लिए भूमि पैतृक सम्पति 114 बीघा 10 बिस्वा व ख0नं0 15 रकबा 0.08 गैर मुमकिन चाह सहित में से वादी के 1/3 हिस्से को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा दिया जायेगा परन्तु बडा भाई होने और उसके सम्मान व रिश्ते को देखते हुए वादी हमेशा नम्रता से काम लेता आ रहा है और उसके संबंध नही बिगडे लेकिन दिसम्बर 2010 में वादी द्वारा हटपूर्वक दीनानाथ व संतोषकुमार को अदालत में दावा कर समस्त अन्तरणों को निरस्त कर कुल पैतृक सम्पति में से 1/3 हिस्सा वादी के खाते दर्ज करवाने की कहने पर और प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट इंकार करने पर वादकारण दिसम्बर 2010 में बमुकाम बैडक्या पैदा हुआ। वादी यह घोषणा करवाने का हकदार है कि वह अपने पिता गोरधनलाल द्वारा छोडी गई भूमि 114 बीघा 10 बिस्वा व गैर मुमकिम चाह ख0नं0 15 रकबा 0.08 है0 में से 1/3 हिस्सा का खातेदार वादी है और जरिए बंटवारा वादी उक्त 1/3 हिस्से को जरिये बंटवारा प्राप्त करने का अधिकारी/हकदार है तथा प्रतिवादीगण दीनानाथ व संतोषकुमार द्वारा जिन भूमियों को

अपने पुत्रों को अन्तरण/अंतरित किया गया है उन्हे निरस्त करवाकर उन भूमियों को पैतृक सम्पति करा पाने का हकदार है। राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, बारां को दिनांक 05.01.2011 को धारा 80 सी0पी0सी का 2 माह का नोटिस प्रेषित कर दिया है लेकिन नोटिस अवधि समाप्त होने के पश्चात भी श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बारां द्वारा सेटलमेंट द्वारा की गई कार्यवाही को निरस्त नही किया गया है तथा वादी को उसके हिस्से का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नही करवाया है इसलिए वाद माननीय न्यायालय में पेश हैं। राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू को भूमिधारी होने से प्रतिवादी क्रम 9 पक्षकार बनाया गया है। दावा निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावेः–

1. विवादित कृषि भूमि को वादी व प्रतिवादी दीनानाथ, संतोषकुमार की पैतृक सम्पति घोषित किया जावें।
2. प्रतिवादीगण दीनानाथ व संतोषकुमार ने जो भूमिया अपने पुत्रों के खाते में दर्ज करवाई है उन अन्तरणों को निरस्त फरमया जाकर उन्हे वादी व प्रतिवादीगण दीनानाथ व संतोषकुमार की पैतृक सम्पति घोषित किया जावें।
3. पैतृक सम्पति 114 बीघा 10 बिस्वा व गैर मुमकिम चाह ख0नं0 15 रकबा 0.08 है0 भूमि का विभाजन कर उसमें निहित वादी के 1/3 हिस्से को जर्ये बंटवारा वादी के जुदागाना खाते में दर्ज किया जावें। अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावें।

वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बैडक्या जमाबन्दी सम्वत 2016–2019 खाता संख्या 24 (प्रदर्श– 1), नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बैडक्या जमाबन्दी सम्वत 2020–2023 खाता संख्या 24 (प्रदर्श– 2), नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बैडक्या जमाबन्दी सम्वत 2024–2027 खाता संख्या 27 (प्रदर्श– 3), नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बैडक्या जमाबन्दी सम्वत 2028–2031 खाता संख्या 28 (प्रदर्श– 4), नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम बैडक्या भू प्रबन्ध विभाग सम्वत 1 जुलाई 1989 से 30 जुन 2009 (प्रदर्श– 5), नकल भू–प्रबन्धक विभाग जमाबन्दी ग्राम व माल बैडक्या जमाबन्दी सम्वत सम्वत 1 जुलाई 1989 से 30 जुन 2009 खाता संख्या 69 (प्रदर्श– 6), नकल भू–प्रबन्धक विभाग जमाबन्दी ग्राम व माल बैडक्या जमाबन्दी सम्वत

सम्वत 1 जुलाई 1989 से 30 जुन 2009 खाता संख्या 50 (प्रदर्श– 7), नकल भू–प्रबन्धक विभाग जमाबन्दी ग्राम व माल बैडक्या जमाबन्दी सम्वत सम्वत 1 जुलाई 1989 से 30 जुन 2009 खाता संख्या 49 (प्रदर्श– 8), नकल नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम बैडक्या नामान्तकरण प्रविष्टि संख्या 50 दिनांक 27.10.98 (प्रदर्श– 9), नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बैडक्या जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 खाता संख्या नया 124 पुराना 119 (प्रदर्श– 10), नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बैडक्या जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 खाता संख्या नया 55 पुराना 57 (प्रदर्श– 11), नकल नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम बैडक्या नामान्तकरण प्रविष्टि संख्या 24 दिनांक 13.12.93 (प्रदर्श– 12), नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बैडक्या जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 खाता संख्या नया 55 पुराना 52 (प्रदर्श– 15), नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बैडक्या जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 खाता संख्या नया 86 पुराना 88 (प्रदर्श– 16), नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बैडक्या जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 खाता संख्या नया 43 पुराना 46 (प्रदर्श– 17) आदि दस्तावेज पेश किए गए।

प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वादी एवं प्रतिवादी दीनानाथ व संतोष कुमार एक ही पिता गोरधन जी की संतान होना स्वीकार है किन्तु वादी ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया है कि वादी श्रीनाथ ग्राम गन्दोलिया में रामनाथ जी ब्राहम्ण के परिवार में गोद चले जाने से इस परिवार का सदस्य नही रहा और न इस परिवार की कृषि आराजीयात सहित अन्य सम्पतियों पर कोइ हक रहा। पिता गोरधन जी की मृत्यु के बाद से ही कृषि आराजीयात सहित अन्य समस्त सम्पति पर हम प्रतिवादी दीनानाथ व संतोष कुमार का स्वामित्व व काबिज है। रेवेन्यु कर्मचारियों की भूल चुक व गलती से वादी का नाम खातेदारी में दर्ज हो गया था। इस गलती की जानकारी होने पर तथा वादी के बालिग होने पर स्वयं वादी की सहमति स्वीकृति व उसकी प्रार्थना पर खाता दुरूस्त करवाया गया। सम्वत 2027 के बाद से भूमियात वादी के खातेदारी में नही है वादी की खातेदारी को समाप्त हुए 40 वर्ष हो चुके है। वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित कृषि आराजीयात होना स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 3 में दर्ज मिन नम्बर होना स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 4 में प्रतिवादीगण के परिवार का सजरा स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 5 जिस तरह लिखी गई है स्वीकार नही है अपितु कथन है कि श्रीनाथ वादी का गोद जाने के बाद वादी का हमारे परिवार में कोई हक अधिकार नही हैं। अपितु गोद लेने वाले परिवार में उत्पन्न हो

गये थे। जमनाबाई बेवा रामनाथ जी ग्राम गन्दोलिया की समस्त सम्पति वादी के स्वामित्व व कब्जे में है। इन तथ्यों का विस्तृत वर्णन विशेष आपत्तियों में किया गया है। श्रीनाथ का नाम गलत तौर पर दर्ज हो जाने से 40 वर्ष पूर्व दुरूस्त करवा दिया गया है। प्रतिवादी ओम प्रकाश, देवकीनन्दन, नरेन्द्र कुमार, महेश कुमार की खातेदारी विधिवत माननीय रेवेन्यु न्यायालय से पारित डिक्री व इजराज संख्या 6/93 से दर्ज हुई है इनकी खातेदारी को 18 वर्ष हो गये है। वाद पत्र की मद नं0 6 में वर्णित कृषि भूमि संतोष कुमार की खातेदारी में दर्ज होना स्वीकार है तथा पवन कुमार की खातेदारी भी विधिवत रूप से दर्ज हुई है। वाद पत्र की मद नं0 7 स्वीकार नही है। अपितु कथन है कि दीनानाथ व संतोष कुमार की खातेदारी सही व विधिवत है। वादी का कोई हक व अधिकार नही है न वादी कोटिनेन्ट है न ही 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी का कभी कब्जा नही रहा। वाद पत्र की मद नं0 8 कतई असत्य, कपोल, कल्पित व मनघडन्त है इसलिए स्वीकार नही है। वादी ने सही व वास्तवकि तथ्यों को छुपाया है। वाद पत्र की मद नं0 9 स्वीकार नही है। न तो वादी का 1/3 हिस्सा है न ही वह बंटवारा कराने का अधिकारी है। वाद पत्र की मद नं0 10 में वर्णित तथ्यों का इल्म नही होने से स्वीकार नही है। वाद पत्र की मद नं0 11 स्वीकार नही है। वाद पत्र की मद नं0 12 स्वीकार नही है। वादी का वाद न तो अन्दर मियाद है न चलने योग्य है। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार नही है तथा निम्नलिखित विशेष कथन पेश किए गए।

–:विशेष कथनः–

ग्राम गन्दोलिया तहसील छबडा में रामनाथ जी ब्राहमण का परिवार निवास करता था जो काफी सम्पन्न परिवार था जिनकी खातेदारी में 188 बीघा भूमि के अतिरिक्त पक्का मकान व काफी अन्य चल एवं अचल सम्पत्तियां थी। इनकी पत्नी का नाम जमना बाई थ इनके कोई संतान नही थी। रामनाथ जी की दूसरी पत्नी रूकमणी से भी कोई संतान नही थी। रामनाथजी के स्वर्गवास के बाद उनकी सम्पतिया मय कृषि आराजीयात दोनो पत्नियों के नाम आई। 188 बीघा भूमि का इन दोनो पत्नियों ने बंटवारा कर लिया, 94 बीघा भूमि जमना बाई के एवं 94 बीघा भूमि रूकमणी बाई के हिस्से में आई। मकान का भी बंटवारा हो गया। दोनो पत्नियां अलग–अलग रहने लगी। श्रीनाथ वादी का जन्म सम्वत 2000 में हुआ। मै प्रतिवादी नं0 1 दीनानाथ वादी श्रीनाथ से 12 वर्ष बडा हुॅ तथा संतोष कुमार श्रीनाथ से 6 वर्ष बडा है। जमनाबाई के पति रामनाथ जी की मृत्यु के बाद जमनाबाई ने मुझ दीनानाथ को गोद लेने की इच्छा जाहिर

की किन्तु में सबसे बडा पुत्र होने की वजह से माता जगन्नाथी बाई व पिता गोरधन जी ने मना कर दिया । फिर जमनाबाई ने श्रीनाथ वादी को गोद लेने की इच्छा बताई। श्रीनाथ उस समय मात्र 2 वर्ष का था। हमारी माताजी व पिताजी ने सहमति व स्वीकृति दे दी। इस तरह माह फाल्गुन सुदी पुनम सम्वत 2002 को गोद से संबंधित समस्त रस्म रिवाज का आयोजन कर माता जगन्नाथी बाई व पिता गोरधनजी से श्रीनाथ को जमनाबाई की गोद में बिठाकर तथा जमना बाई ने गोद में लेकर रस्म पूरी की। जमनाबाई ने श्रीनाथ को दत्तक पुत्र स्वीकार किया। तब से ही श्रीनाथ जमनाबाई के साथ ग्राम गन्दोलिया में ही रहा जमनाबाई ने ही उसे पढाया लिखाया। लालन पालन पोषण किया शादी विवाह किया। जमनाबाई की समस्त सम्पति पर श्रीनाथ काबिज रहा। माह फाल्गुन शुदी पुनम के बाद से वादी श्रीनाथ का अपने नेचुरल परिवार से संबध व अधिकार समाप्त होकर जमनाबाई के परिवार में उत्पन्न हो गये। जमनाबाई द्वारा श्रीनाथ वादी को गोद लेने के बाद रूकमणी बाई जो रामनाथ जी की दुसरी पत्नी थी उसने भी रमेश पुत्र बसन्तीलाल ब्रहम्ण को गोद ले लिया और उसके हिस्से की जायदाद पर रमेश को काबिज करा दिया। हमारे पिता गोरधन जी का स्वर्गवास सम्वत 2004 में हो गया था मैं दीनानाथ व संतोष कुमार भी नाबालिग थे। तत्कालीन रेवेन्यू कर्मचारियों ने भूल चूक व गलती से श्रीनाथ वादी का नाम भी रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज कर दिया। जब इस गलती की जानकारी हुई तब श्रीनाथ वादी न अपने सहमति स्वीकृति व प्रार्थना पर उसका नाम खातेदारी से हटाया गया और रेवेन्यू रिकार्ड को दुरूस्त किया गया। यदि यह दुरूस्ती उसकी इच्छा से नही हुई होती तो वह सम्वत 2028 से चुप नही बेठता सक्षम अदालत में कार्यवाही करता। उपरोक्त विवादित कृषि आराजी सम्वत 2028 से हम दोनो भाईयों दीनानाथ व संतोष कुमार के खातेदारी में व सम्वत 2004 से निरन्तर हमारे कब्जे काश्त में है। 30 वर्ष पूर्व हम प्रतिवादी दोनो भाईयों का विधिवत बंटवार होकर अलग अलग खातेदारी दर्ज हुई। हमने हमारे हिस्सो पर विकास किया। चार ट्यूबवैल दीनानाथ ने लगवाये तथा तीन संतोष कुमार ने लगवाये और करीब सम्पूर्ण भूमि को सिंचित किया। प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 प्रतिवादी क्रम 1 दीनानाथ की संतोन है और रेवेन्यू न्यायालय की डिक्री की इजराय संख्या 6/93 से उनके बंटवारे में 18 वर्ष पूर्व आ गयी है और तनहा तनहा खातेदारी में दर्ज है और अपने अपने हिस्से पर काबिज है। पवन कुमार पुत्र संतोष कुमार के भी विधिवत खाते दर्ज हुई है। जवाब दावें में वर्णित समस्त तथ्यों की जानकारी वादी श्रीनाथ को प्रारम्भ से ही है। वादी पढा लिखा चालाक एवं लोभी किस्म का व्यक्ति है इसने अपनी अडोप्टीव मदर जमना बाई की

मोजूदगी में उनके जीते जी उनकी 94 बीघा कृषि आराजीयात को कुछ खुद के नाम कुछ अपने पुत्रों के नाम और कुछ को अन्य को विक्रय करवा दिया और अब जब जमना बाई की मृत्यु हो गयी नेचुरल माता की भी मृत्यु हो गई यह झूठा दावा पेश किया गया है। प्रतिवादी क्रम 1 दीनानाथ एवं संतोष कुमार अपने पिता गोरधन जी की मृत्यु के बाद सम्वत 2004 से अर्थात 64 वर्ष से काबिज हैं। सम्वत 2028 से अर्थात 40 वर्ष से हम खातेदार है 30 वर्ष पूर्व दीनानाथ व संतोष कुमार में बंटवारा हुआ और 18 वर्ष से प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 पवन कुमार के खातेदारी में दर्ज हो गयी और निरन्तर प्रतिवादीगण काबिज है। प्रतिवादीगण का कब्जा खुला सबकी जानकारी में शान्तिपूर्वक बिना किसी व्यवधान के पूर्ण रूप से वादी की जानकारी में है। विधिक रूप से भी प्रतिवादीगण का कब्जा मुखालपाना हो गया हैं। वादी का कोई हक अधिकार नही है। वादी न तो खातेदार काश्तकार है न ही सहखातेदार है और न उसका कब्जा है न कभी रहा ऐसी स्थिति में उसका वाद चलने योग्य नही है। वादी ने गत 40 वर्षों से जब सम्वत 2028 से उसका नाम खाते से निरस्त हुआ कोई कार्यवाही नही की, 30 वर्ष पूर्व जब हम दोनो भाईयों में विभाजन हुआ कोई कार्यवाही वादी ने नही की तथा 18 वर्ष पूर्व जब इजराज की पालना में प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 व पवन कुमार के खातेदारी दर्ज हुई तो भी वादी ने कोई कार्यवाही नही की। उसका यह दावा मियाद बाहर है और वह किसी भी तरह का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वादी का वाद असत्य बेबुनियाद व हम प्रतिवादीगण को परेशान व तंग करने की गरज से पेश किया है और निरस्त होने योग्य है।

अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा के साथ नकल नामान्तकरण पंजिका प्रविष्टि संख्या 38 ग्राम बैडक्या दिनांक 15.06.1972 (प्रदर्श– D1), नकल नामान्तकरण पंजिका प्रविष्टि संख्या 52 ग्राम बैडक्या दिनांक 27.07.1964 (प्रदर्श– D2), नकल नामान्तकरण पंजिका प्रविष्टि संख्या 68 ग्राम बैडक्या दिनांक 18.06.68 (प्रदर्श– D3), नकल जमाबन्दी ग्राम व माल गन्दोलिया जमाबन्दी सम्वत 2022–2025 खाता संख्या 89 (प्रदर्श– D4), नकल जमाबन्दी ग्राम व माल गन्दोलिया जमाबन्दी सम्वत 2026–2028 खाता संख्या 89 (प्रदर्श– D5) आदि दस्तावेजात पेश किए गए।

दावा व जवाबदावा के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई।

तनकी नं0 1– आया वादपत्र के मद नम्बर–2 में वर्णित आराजीयात जिसके सेटलमेन्ट से मद नम्बर–3 में नये नम्बर दर्ज हुये वादी के पिता गोरधनलाल के खाते की थी जो गोरधन के स्वर्गवास के बाद वादी, दीनानाथ एवं संताषकुमार के खाते दर्ज हुई जिसमें वादनी का 1/3 हिस्सा है जो उसके कब्जे में भी है।

तनकी नं0 2– आया प्रतिवादी दीनानाथ ने सेटलमेन्ट के अमीनो से साजकर वादपत्र के मद नम्बर–5 में वर्णितानुसार तथा संतोषकुमार ने मद नम्बर–6 वादपत्र में वर्णितानुसार खाते दर्ज करवा दी तथा सम्पत्ति का स्वरूप ही नष्ट कर दिया।

तनकी नं0 3– आया वादी वादपत्र के मद नम्बर–3 में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात में हिस्सा 1/3 स्वयं के खाते दर्ज करवाकर बंटवारा करा पाने का अधिकारी है।

तनकी नं0 4– आया वादी जमनाबाई का गोदपुत्र होने से वादपत्र के मद नम्बर 2 व 3 में कोई हक हकूक नहीं है।

तनकी नं0 5– आया विवादित आराजीयात स० 2004 से प्रतिवादी दीनानाथ व संतोषकुमार के संयुक्त कब्जे में है लिहाजा विपरित आधिपत्य के आधार पर वादी के खातेदारी अधिकार समाप्त होकर प्रतिवादी पक्ष को प्राप्त हो गये है।

तनकी नं0 6– आया वादी द्वारा सम्वत् 2028 से कार्यवाही न करने से अब कार्यवाही करने से Barred है।

तनकी नं0 7– अनुतोष क्या होगा।

साक्ष्यवादी के तहत Pw1 श्रीनाथ पुत्र गोरधनलाल जाति गालव ब्राहम्ण निवासी बेडक्या व गन्दोलिया के बयान दर्ज किये गये तथा अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा जिरह की गई।

साक्ष्य प्रतिवादी के तहत Dw1 नरेन्द्र पुत्र दीनानाथ जाति गालव ब्राहम्ण निवासी बेडक्या तहसील अटरू के सशपथ बयान दर्ज किये गये। अभिभाषक वादी द्वारा जिरह की गई।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक वादी द्वारा न्यायिक दृष्टांत पेश किए गए। अभिभाषक वादी ने दौराने बहस कथन किया कि गोद लेने का कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। विधि सम्मत कार्यवाही नही करके इंतकाल से वादी का नाम हटाया गया। मद नं0 2 में वर्णित आराजी में तीनों भाईयों का बराबर हिस्सा था। वादी ने कोई Deed अपने भाईयों के पक्ष में नही की तथा इंतकाल मेरी (वादी) उपस्थिति में नही खोला गया। अतः वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाए।

अभिभाषक वादी द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

- ●मोटूरा नालिनी कान्थ बनाम जैनेदी कालीप्रसाद (मृत) जर्ये वारिसान (Civil appeal no 2435 of 2010) माननीय सर्वोच्च न्यायालय
- ●अर्जुन व अन्य बनाम श्रीमती सुन्दी देवी व अन्य (2024 RBJ 446) माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
- ●पी. किशोर कुमार बनाम विट्टा के. पटकर (Civil appeal no 7210 of 2011) माननीय सर्वोच्च न्यायालय
- ● धनश्याम बनाम श्रवण (2024 RBJ 129) माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।

अभिभाषक प्रतिवादीगण ने अभिभाषक वादी की बहस का पुरजौर विरोध करते हुए प्रतिवाद पत्र के कथनों को दोहराया तथा कथन किया कि पूरा वाद पत्र झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। वादी को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी थी। नामान्तकरण पंजिका पर वादी के स्वयं के हस्ताक्षर है। अतः वादी जानकारी होने से इन्कार नही कर सकता। अतः वाद पत्र खारिज फरमाया जावें।

वाद के निर्णयन से पहले राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की निम्नलिखित धाराओं को समझना आवश्यक है।

<u>अधिकार की घोषणा के लिए वाद (धारा 88 आर0टी0 एक्ट) :–</u>

1. अभिधारी या सह अभिधारी होने का दावा करने वाला व्यक्ति इस घोषणा के लिए कि वह अभिधारी है या ऐसी संयुक्त अभिधृति में अपने हिस्से की घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।
2. खुदकाश्त अभिधारी इस घोषणा के लिए कि वह ऐसा अभिधारी है वाद ला सकेगा।
3. उप अभिधारी ऐसे व्यक्ति, जिससे वह भूमि धारण करता है, के विरूद्व इस घोषणा के लिए कि वह उप अभिधारी है वाद ला सकेगा।

4. राज्य सरकार से भिन्न कोई भू धारक किसी जोत के अभिधारी या सह अभिधारी या खुदकाश्त अभिधारी या उप अभिधारी होने का दावा करने वाले व्यक्ति के विरूद्व ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।

अभिधृति के वर्ग आदि के वारे में वाद (धारा 89 आर0टी0 एक्ट) :–

अभिधृति के जारी रहने के दौरान किसी भी समय अभिधारी या राज्य सरकार से भिन्न भू धारक निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के बारे में घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।

(क) वर्ग जिसका वह अभिधारी है।

(ख) जोत का क्षेत्रफल, उसके संख्यांकित भूखण्ड या उसकी सीमाएँ।

(ग) जोत के बारे में संदेय लगान और नीति जिससे वह संदेय है।

(घ) लगान के नकद में संदेय होने की दशा में, तारीखे जिन पर और किश्ते जिनमें वह संदेय है।

(ड) लगान के वस्तुरूप में संदेय होने की दशा में, फसलों को आंकने, उनका बंटवारा करने या परिदान करने का समय स्थान और रीति।

(च) गैर खातेदार अभिधारी या खुदकाश्त अभिधारी या उप अभिधारी की दशा में अवधि जिसके लिए अभिधृति जारी रहनी है तथा

(छ) कोई भी विशेष शर्तें जो इस अधिनियम से असंगत नही हों।

जोत का विभाजन (धारा 53 आर0टी0 एक्ट) :–

1. दिनांक 11.11.1992 से विलोपित
2. जोत का विभाजन निम्नलिखित रीति से किया जावेगा–
   - i- सह अभिधारियों के बीच
   - ii- एक या अधिक सह अभिधारियों द्वारा जोत के विभाजन के प्रयोजनार्थ और उन विभिन्न प्रभागों, जिनमें वह विभाजित की जाये, पर लगान के वितरण के प्रयोजनार्थ किसी वाद में सक्षम न्यायालय किसी डिक्री या आदेश द्वारा

3- विलोपित

4- किसी एक या एक से अधिक जोतों के विभाजन के प्रत्येक वाद में सभी सह अभिधारी और भू–धारक पक्षकार बनाए जायेंगे।

5- एक से अधिक जोतों के विभाजन के लिए एक ही वाद संस्थित किया जा सकेगा बशर्ते की पक्षकार वे ही हों।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 दोषपूर्ण बेदखली के विरूद्व व्यादेशः– कोई अभिधारी जिसकी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग पर से अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू–धारक अथवा किसी अन्य द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किए जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए वाद ला सकेगा।

धारा 188 आर.टी.एक्ट के अधीन वाद में शाश्वत व्यादेश देने के पहले निम्न शर्तें साबित करनी आवश्यक है किः–

i- वादी विवादग्रस्त जोत का अभिधारी है।

ii- वाद फाइल करने की तारीख को वादी उस वाद भूमि पर काबिज है।

iii- वादी का उस जोत में से अधिकार या उपभोग कर प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण (अतिचार) किया गया है या आक्रमण करने का भय है।

पुनः पत्रावली पर उपस्थित समस्त दस्तावेजों, अभिभाषक वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों, बहस, अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों/जिरह साक्ष्य का अध्ययन कर विवेचन व विश्लेषण करने पर निम्नलिखित तथ्य तनकीवार साबित होते है।

तनकी नं0 1:– जमाबन्दी ग्राम बैडक्या तहसील अटरू सम्वत 2020 से 2023 खाता संख्या नया 28 पुराना 27 (प्रदर्श–2) के अनुसार ख0नं0 12 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 13 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 14 का रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, ख0नं0 15 रकबा 2 बिस्वा, ख0नं0 16 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 18 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, ख0नं0 43 रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 123 रकबा 42 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 217 रकबा 8 बिघा 19 बिस्वा, ख0नं0 263 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा, ख0नं0 264 रकबा 6 बिस्वा, ख0नं0 341 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 371 रकबा 12 बिघा 11 बिस्वा, ख0नं0 348/390 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 14 का रकबा 114 बीघा 10 बिस्वा की भूमि दीनानाथ, संतोष कुमार, श्रीनाथ पिसरान गोरधन लाल कौम ब्राहम्ण सा0 देह हिस्सा बराबर दर्ज है।

जमाबन्दी ग्राम बैडक्या तहसील अटरू सम्वत 2026 से 2029 (प्रदर्श–1) के अनुसार ख0नं0 12 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 13 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 14 का रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, ख0नं0 15 रकबा 2 बिस्वा, ख0नं0 16 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0

18 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, ख0नं0 43 रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 123 रकबा 42 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 217 रकबा 8 बिघा 19 बिस्वा, ख0नं0 263 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा, ख0नं0 264 रकबा 6 बिस्वा, ख0नं0 341 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 371 रकबा 12 बिघा 11 बिस्वा, ख0नं0 348/390 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 14 का रकबा 114 बीघा 10 बिस्वा की भूमि दीनानाथ, संतोष कुमार, श्रीनाथ पिसरान गोरधन लाल कौम ब्राहम्ण सा0 देह हिस्सा बराबर दर्ज है।

जमाबन्दी ग्राम बैडक्या तहसील अटरू सम्वत 2028 से 2031 खाता संख्या 28 (प्रदर्श–4) के अनुसार ख0नं0 12 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 13 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 14 का रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, ख0नं0 15 रकबा 2 बिस्वा, ख0नं0 16 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 18 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, ख0नं0 43 रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 123 रकबा 42 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 217 रकबा 8 बिघा 19 बिस्वा, ख0नं0 263 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा, ख0नं0 264 रकबा 6 बिस्वा, ख0नं0 341 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 371 रकबा 12 बिघा 11 बिस्वा, ख0नं0 348/390 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 14 का रकबा 114 बीघा 10 बिस्वा की भूमि दीनानाथ, संतोष कुमार पुत्र गोरधन लाल जाति ब्राहम्ण सा0 देह हिस्सा बराबर दर्ज है।

नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम बैडक्या भू प्रबन्ध विभाग 1 जुलाई 1989 से 30 जुन 2009 (प्रदर्श– 5) के अनुसार पुराना ख0नं0 14 के नये ख0नं0 16, पुराने ख0नं0 12 मी0 के नये ख0नं0 35, पुराने ख0नं0 12 मी0 के नये ख0नं0 36, पुराने ख0नं0 13 के नये ख0नं0 37, पुराने ख0नं0 123 मी0 के नये ख0नं0 187, पुराने ख0नं0 341 के नये ख0नं0 414, पुराने ख0नं0 361 मी0 के नये ख0नं0 464, पुराने ख0नं0 14 मी0 के नये ख0नं0 17/506, पुराने ख0नं0 44 के नये ख0नं0 77, पुराने ख0नं0 187 मी0 के नये ख0नं0 221, पुराने ख0नं0 187 मी0 के नये ख0नं0 222, पुराने ख0नं0 15 के नये ख0नं0 15, पुराने ख0नं0 18 व 16 के नये ख0नं0 14, पुराने ख0नं0 14 के नये ख0नं0 38, पुराने ख0नं0 12 मी0 के नये ख0नं0 39, पुराने ख0नं0 43 के नये ख0नं0 76, पुराने ख0नं0 123 मी0 के नये ख0नं0 186, पुराने ख0नं0 217 के नये ख0नं0 265, पुराने ख0नं0 263 के नये ख0नं0 314, पुराने ख0नं0 264 के नये ख0नं0 316 व पुराने ख0नं0 348/390 के नये ख0नं0 441 बने।

उक्त जमाबन्दीयों के अनुसार उक्त भूमि गोरधनलाल के खाते की थी तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात गोरधनलाल के वारिसान के नाम दर्ज हुई।

जिरह अधिवक्ता प्रतिवादीगण के अनुसार वादी (श्रीनाथ) ने स्वयं स्वीकार किया है कि मेरे हिस्से की भूमि को मेरे सगे दोनो भाई मुनाफा काश्त करते थे तथा पिछले 40–45 वर्षो से मेने स्वयं काश्त नही की है।

उपरोक्त विवरण व विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि वाद पत्र के मद नं0 2 में वर्णित भूमि गोरधनलाल की थी तथा गोरधनलाल के स्वर्गवास के पश्चात श्रीनाथ, दीनानाथ व संतोष कुमार के खाते दर्ज की गई।

अतः तनकी नं0 1 का भूमि गोरधनलाल के खाते की होने की सीमा तक तथा गोरधनलाल के स्वर्गवास के पश्चात उसके वारिसान के खाते दर्ज होने की सीमा तक निर्णय वादी के पक्ष में तथा विरूद्व प्रतिवादीगण किया जाता है तथा भूमि के कब्जे के बिन्दु की सीमा तक निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नं0 2:– वाद पत्र की मद नं0 5 में ख0नं0 14, 38, 39, 76, 186, 265, 314, 316 व 441 कुल 9 किता का रकबा 8.92 है0 भूमि का उल्लेख है तथा मद नं0 6 में खसरा नं0 16 रकबा 0.28, ख0नं0 16/506 रकबा 0.10, ख0नं0 35 रकबा 0.45, ख0नं0 36 रकबा 0.24, ख0नं0 37 रकबा 0.25, ख0नं0 77 रकबा 0.04, ख0नं0 187 रकबा 1.42, ख0नं0 414 रकबा 2.40, ख0नं0 464 रकबा 2.01 है0 भूमि का उल्लेख है।

नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम बैडक्या पटवार हल्का खेडलीगंज तहसील अटरू (प्रदर्श–12) प्रविष्टि क्रम संख्या 24 के अनुसार ख0 नं0 14 रकबा 0.44 है0, ख0नं0 38 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 39 रकबा 0.80 है0, ख0नं0 76 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 186 रकबा 3.42 है0, ख0नं0 265 रकबा 1.52 है0, ख0नं0 314 रकबा 2.14 है0, ख0नं0 316 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 441 रकबा 0.42 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 8.82 है0 भूमि जो दीनानाथ पुत्र गोरधन के नाम दर्शाई गई है का विभाजन ओमप्रकाश पुत्र दीनानाथ, देवकीनन्दन पुत्र दीनानाथ, नरेन्द्र कुमार पुत्र दीनानाथ, महेश कुमार पुत्र दीनानाथ के बीच में न्यायालय सहायक कलक्टर के आदेश क्रमांक/राजस्व/93/639 की पालना में किया गया।

नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम बैडक्या पटवार हल्का खेडलीगंज तहसील अटरू (प्रदर्श–9) प्रविष्टि क्रम संख्या 50 के अनुसार ख0 नं0 16 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 35 रकबा 0.45

है0, ख0नं0 36 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 37 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 77 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 187 रकबा 3.42 है0, ख0नं0 414 रकबा 2.40 है0, ख0नपं0 464 रकबा 2.01 है0, ख0नं0 16/506 रकबा 0.10 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 9.19 है0 भूमि जो संतोष कुमार पुत्र गोरधन के नाम दर्शाई गई है, का बंटवारा कार्यालय तहसीलदार अटरू क्रमांक/भू0अभि0/98/7538 दिनांक 09.10.98 के अनुसार किया गया तथा आराजी को संतोष कुमार पुत्र गोरधनलाल व पवन कुमार पुत्र संतोष कुमार में विभाजित किया गया।

उपरोक्त विवरण व विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि उपरोक्त विभाजन आदेश सहायक कलक्टर अटरू व आदेश कार्यालय तहसीलदार अटरू के अनुसार किए गए है। सम्पति का स्वरूप नष्ट करने व सेटलमेंट के अमीनों से साज करने के बारे में कोई अन्य दस्तावेज पेश नही किया गया है न ही इस कथन को साबित करने में वादी सफल रहा है। अतः दीनानाथ व संतोष कुमार द्वारा क्रमशः वाद पत्र की मद नं0 5 व मद नं0 नं0 6 की भूमि अपने वारिसान के खाते दर्ज करवाने की सीमा तक तनकी नं0 2 का निर्णय वादी के पक्ष में तथा सेटलमेंट के अमीनों से साज करने के बिन्दु की सीमा तक निर्णय विरूद्व वादी किया जाता है।

तनकी नं0 3:– नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम बैडक्या भू प्रबन्ध विभाग 1 जुलाई 1989 से 30 जुन 2009 (प्रदर्श– 5) के अनुसार ग्राम बैडक्या के पुराना ख0नं0 14 के नये ख0नं0 16, पुराने ख0नं0 12 मी0 के नये ख0नं0 35, पुराने ख0नं0 12 मी0 के नये ख0नं0 36, पुराने ख0नं0 13 के नये ख0नं0 37, पुराने ख0नं0 123 मी0 के नये ख0नं0 187, पुराने ख0नं0 341 के नये ख0नं0 414, पुराने ख0नं0 361 मी0 के नये ख0नं0 464, पुराने ख0नं0 14 मी0 के नये ख0नं0 17/506, पुराने ख0नं0 44 के नये ख0नं0 77, पुराने ख0नं0 187 मी0 के नये ख0नं0 221, पुराने ख0नं0 187 मी0 के नये ख0नं0 222, पुराने ख0नं0 15 के नये ख0नं0 15, पुराने ख0नं0 18 व 16 के नये ख0नं0 14, पुराने ख0नं0 14 के नये ख0नं0 38, पुराने ख0नं0 12 मी0 के नये ख0नं0 39, पुराने ख0नं0 43 के नये ख0नं0 76, पुराने ख0नं0 123 मी0 के नये ख0नं0 186, पुराने ख0नं0 217 के नये ख0नं0 265, पुराने ख0नं0 263 के नये ख0नं0 314, पुराने ख0नं0 264 के नये ख0नं0 316 व पुराने ख0नं0 348/390 के नये ख0नं0 441 बने।

जमाबन्दी ग्राम बैडक्या तहसील अटरू सम्वत 2026 से 2029 खाता संख्या 24 (प्रदर्श–1) के अनुसार ख0नं0 12 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 13 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 14 का रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, ख0नं0 15 रकबा 2 बिस्वा, ख0नं0 16 रकबा 1 बीघा 2

बिस्वा, ख0नं0 18 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, ख0नं0 43 रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 123 रकबा 42 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 217 रकबा 8 बिघा 19 बिस्वा, ख0नं0 263 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा, ख0नं0 264 रकबा 6 बिस्वा, ख0नं0 341 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 371 रकबा 12 बिघा 11 बिस्वा, ख0नं0 348/390 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 14 कुल रकबा 114 बीघा 10 बिस्वा दीनानाथ, संतोष कुमार, श्रीनाथ पिसरान गोरधनलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नामान्तकरण पंजिका ग्राम बैडक्या तहसील अटरू प्रविष्टि क्रम संख्या 38 (प्रदर्श–D1) पर अंकित सजरे में गोरधनलाल के वारिस दीनानाथ, संतोष कुमार व श्रीनाथ बताए गए है तथा श्रीनाथ को जमनाबाई के गोद जाना दर्शाया गया है तथा अंकन किया गया है कि श्रीनाथ ग्राम गन्दोलिया में रामनाथ जी की बेवा जमनाबाई के गोद चला गया है तथा श्रीनाथ को गन्दोलिया में रहना बताया गया है तथा ग्राम गन्दोलिया की आराजी को श्रीनाथ के कब्जे में बताते हुए ग्राम बेडक्या की आराजी में से श्रीनाथ का नाम हटाने का अंकन किया गया है तथा इस बात का श्रीनाथ द्वारा जाहिर करना अंकन किया गया है एवं उक्त कार्यवाही के दौरान श्रीनाथ की पंचायत भवन में उपस्थिति का अंकन करते हुए ग्राम बैडक्या की आराजी (कुल किता 14 रकबा 114 बीघा 10 बिस्वा) में दीनानाथ व संतोष कुमार का बराबर हिस्सा दर्ज किया गया। नामान्तकरण पंजिका पर बिन्दु A व B के मध्य ''श्रीनाथ गालव'' नाम के हस्ताक्षर भी है।

नामान्तकरण पंजिका ग्राम गन्दोलिया तहसील अटरू प्रविष्टि संख्या 52 (प्रदर्श–D2) के अनुसार दिनांक 29.07.64 को जमनाबाई बेवा रामनाथ की ग्राम गन्दोलिया की आराजी श्रीनाथ पुत्र गोरधन के नाम दर्ज की गई। उक्त नामान्तकरण पंजिका पर भी बिन्दु A व B के मध्य ''श्रीनाथ गालव'' नाम के हस्ताक्षर किए गए है।

नामान्तकरण पंजिका ग्राम गन्दोलिया तहसील अटरू प्रविष्टि संख्या 69 (प्रदर्श–D3) दिनांक 18.06.68 के अनुसार जमनाबाई बेवा रामनाथ की आराजी ख0नं0 514 का रकबा 23 बीघा 19 बिस्वा को श्रीनाथ पुत्र गोरधन के नाम दर्ज किया गया तथा उक्त नामान्तकरण पंजिका पर भी बिन्दु A व B के मध्य ''श्रीनाथ गालव'' नाम के हस्ताक्षर अंकित है।

जमाबन्दी ग्राम गन्दोलिया सम्वत 2022 से 2025 (प्रदर्श–D4) के अनुसार श्रीनाथ पुत्र गोरधन का नाम ग्राम गन्दोलिया के खाता संख्या 89 के ख0नं0 513 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा में दर्ज भी है।

नामान्तकरण पंजिका ग्राम बैडक्या पटवार हल्का खेडलीगंज तहसील अटरू (प्रदर्श–D1), नामान्तकरण पंजिका ग्राम गन्दोलिया तहसील अटरू प्रविष्टि संख्या 52 (प्रदर्श–D2) नामान्तकरण पंजिका ग्राम गन्दोलिया तहसील अटरू प्रविष्टि संख्या 69 (प्रदर्श–D3) सभी पर ''श्रीनाथ गालव'' नाम के हस्ताक्षर है उक्त सभी हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति द्वारा किए हुए प्रतीत होते है। दिनांक 13.10.2022 जिरह के दौरान वादी द्वारा किए गए हस्ताक्षर से मिलान भी होना प्रतीत होता है। अतः ग्राम बैडक्या की आराजी से श्रीनाथ का नाम श्रीनाथ की सहमति से हटाया जाना प्रतीत होता है। प्रदर्श–D1 पर अंकित सजरे में भी श्रीनाथ का जमनाबाई के गोद जाना दर्शाया गया है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा पारिवारिक सहमति से श्रीनाथ का जमनाबाई बेवा रामनाथ के गोद जाने के बारे में किया गया कथन सही प्रतीत होता है। जिरह अभिभाषक प्रतिवादीगण में स्वयं श्रीनाथ गालव ने गन्दोलिया में रहना भी स्वीकार किया है।

उपरोक्त विवरण व विश्लेषण के आधार पर वादी का पारिवारिक सहमति से जमनाबाई के गोद जाना साबित होता है तथा ग्राम बैडक्या की आराजी से वादी का नाम भी वादी की सहमति से हटाया जाना साबित होता है।

अतः तनकी नं0 3 का निर्णय विरूद्व वादी किया जाता है।

तनकी नं0 4:– वादी द्वारा वाद पत्र में जमनाबाई बेवा रामनाथ की आराजी के बारे में कोई उल्लेख नही किया गया तथा नामान्तकरण पंजिका ग्राम बैडक्या पटवार हल्का खेडलीगंज तहसील अटरू प्रविष्टि क्रम संख्या 38 (प्रदर्श–D1) पर ''श्रीनाथ गालव'' नाम के (वादी) के हस्ताक्षर होना तथा पंजिका पर श्रीनाथ गालव (वादी) की उपस्थिति का अंकन व ''श्रीनाथ गालव'' नाम के हस्ताक्षर व विवरण व विश्लेषण तनकी नं0 3 से स्पष्ट है कि वादी को प्रतिवादीगण द्वारा पेश किए गए तथ्यो की जानकारी थी लेकिन वाद पत्र को इन तथ्यों को छुपाकर पेश किया गया है। हालांकि प्रतिवादीगण द्वारा गोदनामे का कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है लेकिन प्रदर्श–D1 पर अंकन किए गए सजरे व प्रतिवादीगण द्वारा किए गए कथनों के आधार पर श्रीनाथ का पारिवारिक सहमति से गोद जाना स्पष्ट है।

उपरोक्त विवरण व विश्लेषण व तनकी नं0 3 के विवरण व विश्लेषण के आधार पर वादी का पारिवारिक सहमति के आधार पर गोद जाना स्पष्ट है। अतः तनकी नं0 4 का निर्णय विरूद्व वादी किया जाता है।

तनकी नं0 5:– जिरह विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण में स्वयं श्रीनाथ गालव ने स्वीकार किया हे कि विवादित आराजी मेने 45–50 वर्षों से काश्त नही की जबकि मेरे सगे दोनो भाइयों से मुनाफा काश्त करवाई थी।

अतः स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण दीनानाथ व संतोषकुमार के वारिसान का कब्जा काश्त है लेकिन प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान नही किए जा सकते है।

अतः तनकी नं0 5 का विपरित आधिपत्य के आधार पर वादी के खातेदारी अधिकार समाप्त होकर प्रतिवादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने की सीमा तक का निर्णय विरूद्व प्रतिवादीगण किया जाता है।

तनकी नं0 6:– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद की परिसीमा की अवधि निर्धारित नही की गई है। अतः तनकी नं0 6 का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है।

पुनः पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों, तनकीवार निर्णय व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन, मनन व विश्लेषण किया। प्रस्तुत वाद में वादी ने गोद जाने के बारे में कही कोई कथन नही किया। इस संबंध में तनकी नं0 3 व 4 के निर्णय से संबंध है कि वादी को उक्त तथ्यों की जानकारी थी। प्रस्तुत प्रकरण में पारिवारिक सहमति स्पष्ट प्रतीत होती है। अतः माननीय न्यायालयों के दृष्टांत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा नही होते है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवरण, विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 29/2011 **दायर दिनांक :–26.05.2011**

उनवान

1. श्रीनाथ पुत्र श्री गोरधनलाल आयु 68 वर्ष जाति गालव ब्राहमण निवासी बेडक्या व गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान।

वादी

बनाम

1. दीनानाथ पुत्र श्री गोरधनलाल आयु 80 वर्ष जाति गालव ब्राहमण निवासी बेडक्या तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान
2. ओमप्रकाश पुत्र दीनानाथ
3. देवकीनन्दन पुत्र दीनानाथ
4. नरेन्द्रकुमार पुत्र दीनानाथ
5. महेशकुमार पुत्र दीनानाथ

   जाति गालव ब्राहमण निवासीगण बैडक्या तहसील अटरू जिला बारां राज
6. सतोषकुमार पुत्र गोरधनलाल – मृतक

6/1 श्रीमती कंचनबाई आयु 75 वर्ष पत्नी सतोष जी गालव जाति ब्राहमण निवासी खेडलीगंज अटरू तहसील अटरू जिलां बारां राज0

6/2 गिरजाबाई आयु 44 वर्ष पुत्री संतोष जी गालव पत्नी लक्ष्मीनारायण जी गालव जाति गालव ब्राहमण निवासी खेडलीगंज अटरू हालमुकाम सरदार कॉलोनी अन्ता जिला बारां राज0

6/3 चन्द्रकला आयु 51 वर्ष पुत्री संतोष जी गालव पत्नी ओमप्रकाश जी गालव जाति गालव ब्राहमण निवासी खेडलीगंज अटरू हालनिवासी जयहिन्द नगर कोटा जिला कोटा

6/4 कैकईबाई आयु 37 वर्ष पुत्री संतोष जी गालव जाति गालव ब्राहमण निवासी खेडलीगंज अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0

7. भूपेन्द्रकुमार पुत्र संतोषकुमार
8. पवनकुमार पुत्र संतोषकुमार

   जाति ब्राहमण निवासीगण खेडलीगंज अटरू जिला बारां
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 90, 188 आर0 टी0 एक्ट

उपस्थिति :–

वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री रामेश्वर गोयल।

प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री नवनीत कुमार जैन प्रतिवादी क्रम 1 ता 8

विद्वान अभिभाषक श्री जिनेन्द्र कुमार जैन प्रतिवादी क्रम 1 ता 8

विद्वान अभिभाषक श्री के.एल. माहेश्वरी प्रतिवादी क्रम 6/1 ता 6/4 व 7 व 8

विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन प्रतिवादी क्रम 1 ता 8

मिनजानित मुदई रूबरू .....ग.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम व माल बेडक्या की विवादित आराजीयात के संबंध में पेश वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....ग..... मुबालिक .....ग..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....ग..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....ग..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 11.09.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)